



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

21 श्रावण 1947 (श10)

(सं0 पटना 1342) पटना, मंगलवार, 12 अगस्त 2025

विधि विभाग

अधिसूचना

12 अगस्त 2025

सं० एल०जी०-01-09/2025-5096/लेज।—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर माननीय राज्यपाल द्वारा दिनांक 6 अगस्त, 2025 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अंजनी कुमार सिंह,
सरकार के सचिव ।

[बिहार अधिनियम 11, 2025]

बिहार कृषि भूमि (गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) (संशोधन) अधिनियम, 2025

बिहार कृषि भूमि (गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) अधिनियम, 2010 (बिहार अधिनियम 11, 2010) का संशोधन करने के लिये अधिनियम।

भारत गणराज्य के छिहतरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।-

- (1) यह अधिनियम बिहार कृषि भूमि (गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) (संशोधन) अधिनियम, 2025 कहा जा सकेगा।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
- (3) यह राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किये जाने की तिथि से प्रवृत्त होगा।

2. बिहार कृषि भूमि (गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) अधिनियम, 2010 (बिहार अधिनियम 11, 2010) की धारा-2(छ), धारा-5(1) तथा धारा-9(1) में अंकित शब्द "अनुमंडल पदाधिकारी" का प्रतिस्थापन।-

उक्त अधिनियम, 2010 की धारा-2(छ), धारा-5(1) तथा धारा-9(1) में अंकित शब्द "अनुमंडल पदाधिकारी" के स्थान पर "अनुमंडल पदाधिकारी अथवा सरकार द्वारा अधिसूचित भूमि सुधार उप समाहर्ता से अन्यून स्तर के पदाधिकारी" शब्द समूह अन्तःस्थापित किया जाता है।

3. बिहार कृषि भूमि (गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) अधिनियम, 2010 (बिहार अधिनियम 11, 2010) की धारा-4(1) का प्रतिस्थापन।-

इस संशोधन अधिनियम के प्रवृत्त होने की तिथि के प्रभाव से प्रत्येक दखलकार या स्वामी को सरकार द्वारा समय-समय पर क्षेत्रों के यथा विनिश्चित सम्परिवर्तन शूल्क का भुगतान करना होगा।

4. बिहार कृषि भूमि (गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) अधिनियम, 2010 (बिहार अधिनियम 11, 2010) की धारा-9 की उप धारा-1 में अंकित शब्द "समाहर्ता" तथा उप धारा-2 में अंकित शब्द "प्रमंडलीय आयुक्त" का प्रतिस्थापन तथा उप धारा-2 के पश्चात नया उप-धारा-3 को जोड़ा जाना।-

- (1) धारा-9(1)-उक्त अधिनियम, 2010 की धारा-9 की उप धारा-1 में अंकित शब्द "समाहर्ता" के स्थान पर "अपर समाहर्ता" अन्तःस्थापित किया जाता है।
- (2) धारा-9(2)-उक्त अधिनियम, 2010 की धारा-9 की उप धारा-2 में अंकित शब्द "प्रमंडलीय आयुक्त" के स्थान पर "समाहर्ता" अन्तःस्थापित किया जाता है।
- (3) धारा-9(3)-उपरोक्त उप-धारा-(1) एवं (2) के मामलों का निष्पादन हेतु समय-सीमा का विनिश्चय समय-समय पर सरकार द्वारा किया जायेगा।

अंजनी कुमार सिंह,
सरकार के सचिव।

12 अगस्त 2025

सं० एल०जी०-01-09/2025-5097/लेज-बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और माननीय राज्यपाल द्वारा दिनांक 6 अगस्त, 2025 को अनुमत बिहार कृषि भूमि (गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) (संशोधन) अधिनियम, 2025 (बिहार अधिनियम 11, 2025) का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अंजनी कुमार सिंह,
सरकार के सचिव।

[Bihar Act 11, 2025]

**The Bihar Agriculture Land (Conversion for Non-Agriculture Purposes)
(Amendment) Act, 2025**

AN

ACT

To amend the Bihar Agriculture Land (Conversion for Non-Agriculture Purposes) Act, 2010 (Bihar Act 11 of 2010)

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the seventy sixth year of the Republic of India as follows: -

1. *Short title, extent and Commencement.*—

- (1) This act may be called The Bihar Agriculture Land (Conversion for Non-Agriculture Purposes) (Amendment) Act, 2025.
- (2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.
- (3) It shall come into force from such date as notified by the State Government in the Official Gazette.

2. *Substitution of the words "Sub-Divisional Officer" in Section-2(g), Section-5(1) and Section-9(1) of the Bihar Agricultural Land (Conversion for Non-Agricultural Purposes) Act, 2010 (Bihar Act 11, 2010).*—

In place of the words "Sub-Divisional Officer" in section-2(g), section-5(1) and section-9(1) of the said Act, 2010 the words " Sub-Divisional Officer or an officer not below the level of Land Reforms Deputy Collector as notified by the Government" are inserted.

3. *Substitution of Section-4(1) of the Bihar Agricultural Land (Conversion for Non-Agriculture Purposes) Act, 2010 (Bihar Act 11, 2010).*—

"With effect from the date of the commencement of this Amendment Act, every occupier or owner shall have to pay conversion fee as determined by the Government from time to time for such areas."

4. *Substitution of the words "Collector" in sub-section 1 and the words "Divisional Commissioner" in sub-section-2 of Section-9 of the Bihar Agricultural Land (Conversion for Non-Agriculture Purposes) Act, 2010 (Bihar Act 11, 2011) and addition of new sub-section-3 after sub-section-2.*—

- (1) ***Section-9(1)***—For the word "Collector" mentioned in sub-section-(1) of Section-9 of the said Act, 2010 the words "Additional Collector" are substituted.
- (2) ***Section-9(2)***—For the words "Divisional Commissioner" mentioned in sub-section-(2) of Section-9 of the said Act, 2010 the word "Collector" is substituted.
- (3) ***Section-9(3)***—The time limit for disposal of the cases under sub-section-(1) and (2) above shall be decided by the Government from time to time.

ANJANI KUMAR SINGH,
Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1342-571+400-डी0टी0पी0।

Website: <https://egazette.bihar.gov.in>